<u>ई–मेल/स्पीड पोस्ट</u>

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
अमरोहा

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, निर्वाचन विभाग,
अनुभाग–1, लखनऊ

सं0: 2163/29– ज0सू0अधि0/2017 दिनांक: 21 सितम्बर, 2017

विषय: **लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3593/सी0ई0ओ0–1–105/1–2005, दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा **4 (1)(बी) के अन्तर्गत कुल 17 श्रेणियों की सूचनायें जिला निर्वाचन कार्यालय की वेवसाइट पर अपलोड कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र नियत प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।**

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा **4(1)(बी) के अन्तर्गत कुल 17 श्रेणियों की सूचनायें जिला निर्वाचन कार्यालय, अमरोहा की वेवसाइट पर अपलोड करा दी गयी हैं, से संबंधित सूचनाएं संलग्न प्रेषित है।**
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कुल 17 श्रेणियों की सूचनायें जिला निर्वाचन कार्यालय, अमरोहा की वेवसाइट पर अपलोड करा दी गयी हैं।

भवदीय,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
अमरोहा

संलग्नक
पत्र सं० - 2163/29-ज.सू.अधि./2017 दिनांक 21/09.17

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य –	जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी तथा लोक सभा/ विधान सभा/ विधान परिषद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य–	निर्वाचन संबंधी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशें के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जबाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है–	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों एवं अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यो का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
(iv)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा सीपित मापमान–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।

(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखे–	भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि निर्देशिका, आर0ओ0 हैण्डबुक एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशें के अनुरूप निर्वाचन संबंधी कार्यो को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाता है।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि, जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेवसाइट **www.eci.gov.in** पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है–	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत मतदेय स्थलों के परिवर्तन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा निर्वाचन के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जन सामान्य का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियो और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगीं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहॅुच होगी, विवरण–	–– शून्य ––
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका–	जिला निर्वाचन कार्यालय में अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ हैं। अतः अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवा नियमावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ स्तर से तैयार की जाती है।

(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो–	अधिकारी/कर्मचारियों को शासन द्वारा समय– समय पर निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक के अनुसार वेतन व अन्य भत्ते देय है।
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, प्रपत्रों आदि की छपाई, मतदाता फोटो पहचान पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों से संबंधित व्यय बीजको के भुगतान हेतु धनावंटन प्रदत्त किया जाता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है–	इस विभाग द्वारा किसी सामायिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं की विशिष्टियां–	—— शून्य ——
(xiv)	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो –	निर्वाचनों से संबंधित विधि निर्देशिका एवं अन्य हैण्डबुक आदि भारत निर्वाचन आयोग की वेवसाइट **www.eci.gov.in** तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश , लखनऊ की वेवसाइट **www.ceouttarpradesh.nic.in** पर उपलब्ध है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं–	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा जोया रोड पर कलेक्ट्रेट परिसर, अमरोहा के कक्ष संख्या–29 में स्थापित है तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रातः 10–00 बजे से सायं 5–00 बजे तक सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां–	लोक सूचना अधिकारी का नाम, श्री भरत सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी है। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर, वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क जन सामान्य द्वारा किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाऐं जो विहित की जाये–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथा समय अपडेट की जाती है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
अमरोहा